

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुलकर सिद्दीख पी०, गा०प्र०रो०,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक...13.6.24...

विषय-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख उनासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपलब्ध बजटीय उपबंध मो० 1165.00 लाख रु० मात्र के विरुद्ध राशि मो० 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख उनासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र के व्यय पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के तहत मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु पारिश्रमिक का भुगतान, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, तालाबों के सैटेलाइट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी०आई०एस० एप्लीकेशन, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया/अमृत कतला आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों (विरसा मत्स्य किसानों) के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन, देशी मांगुर आदि प्रजातियों का पालन, CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Scampi fisheries in underutilized reservoirs के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि से वर्तमान समय में 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन, 6500 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 21300 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन एवं विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार/स्थापनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3/4/24

Dr.

10/7

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख उनारसी हजार आठ सौ) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख रू0 में)

| क्रम (क)   | लघु शीर्ष   | बजट उपबंध       | स्वीकृत राशि    | अवशेष राशि   |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन</b>                   |   |                 |                 |              |
|  | विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते                       |                 |                 |              |
| 1  | 09 मानदेय 53S24050010120010109                        | 36.000          | 36.000          | 0.000        |
|  | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय                       |                 |                 |              |
| 2  | 19 मुद्रण 53S24050010120010319                        | 11.000          | 11.000          | 0.000        |
| 3  | 20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050010120010320            | 27.500          | 27.500          | 0.000        |
| 4  | 21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050010120010321      | 18.000          | 18.000          | 0.000        |
| 5  | 23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010120010323           | 190.000         | 190.000         | 0.000        |
| 6  | 35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050010120010335                | 92.000          | 90.000          | 0.000        |
|  | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय                            |                 |                 |              |
| 7  | 59 अन्य व्यय 53S24050010120010759                     | 10.000          | 10.000          | 0.000        |
|  | उप योग :  | <b>384.500</b>  | <b>384.500</b>  | <b>0.000</b> |
| <b>लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b> |   |                 |                 |              |
|  | विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते                       |                 |                 |              |
| 1  | 09 मानदेय 53S24050078920010109                        | 12.000          | 12.000          | 0.000        |
|  | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय                       |                 |                 |              |
| 2  | 21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050078920010321      | 3.400           | 3.400           | 0.000        |
| 3  | 23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078920010323           | 40.000          | 40.000          | 0.000        |
| 4  | 35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335                | 32.000          | 31.998          | 0.002        |
|  | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय                            |                 |                 |              |
| 5  | 59 अन्य व्यय 53S24050078920010759                     | 3.000           | 3.000           | 0.000        |
|  | उप योग :  | <b>90.400</b>   | <b>90.398</b>   | <b>0.002</b> |
| <b>लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना</b>                |   |                 |                 |              |
|  | विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते                       |                 |                 |              |
| 1  | 09 मानदेय 53S24050079620010109                        | 72.500          | 72.500          | 0.000        |
|  | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय                       |                 |                 |              |
| 2  | 19 मुद्रण 53S24050079620010319                        | 23.000          | 23.000          | 0.000        |
| 3  | 20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050079620010320            | 52.500          | 52.500          | 0.000        |
| 4  | 21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050079620010321      | 30.000          | 30.000          | 0.000        |
| 5  | 23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079620010323           | 260.000         | 260.000         | 0.000        |
| 6  | 29 व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079620010329              | 80.000          | 80.000          | 0.000        |
| 7  | 31 परामर्शी शुल्क 53S24050079620010331                | 10.000          | 10.000          | 0.000        |
| 8  | 35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050079620010335                | 125.000         | 125.000         | 0.000        |
| 9  | 80 मूल्यांकन 53S24050079620010380                     | 15.000          | 15.000          | 0.000        |
|  | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय                            |                 |                 |              |
| 10   | 59 अन्य व्यय 53S24050079620010759                     | 12.100          | 11.900          | 0.200        |
| 11   | 81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ 53S24050079620010781 | 10.000          | 10.000          | 0.000        |
|  | उप योग :  | <b>690.100</b>  | <b>689.900</b>  | <b>0.200</b> |
|  | सकल योग :   | <b>1165.000</b> | <b>1164.798</b> | <b>0.202</b> |

कुल मो0 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख उनारसी हजार आठ सौ) रुपये मात्र।

3. यह एक चालू प्रकृति की योजना है।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

6. (क) मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों/भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के विरुद्ध पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। यह पारिश्रमिक कार्य की प्रकृति, क्षेत्रीय भौगोलिक विस्तार आदि के अनुरूप होगा जिसके लिए पूर्व की भांति ही निदेशक मत्स्य द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव पर विभाग स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर एक SOP निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्गत SOP के आलोक में ही मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

(ख) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(ग) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(घ) विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुरूप इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ङ) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया/अमृत कतला आदि के मत्स्य बीज का संचयन किया जायेगा।

(च) जलाशय स्तरीय 1050 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटीकार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, बिरसा मत्स्य किसान {कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1257 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में} अंकित होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(छ) प्रचार/प्रसार/पोस्टर/पम्पलेट/बुकलेट/प्रचार-सामग्री/विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई/मेला/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंटरी फिल्म/डेटा इन्ट्री/फोटोग्राफी/सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी/राज्य प्रायोजित समारोह/सेवा शुल्क/तकनीकी सेवा शुल्क/बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technology जैसी अन्य सेवाएँ/विशेषज्ञों का सेवा शुल्क/परामर्श, अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता पर व्यय/डी0पी0आर0 तथा योजनाओं आदि के मूल्यांकन पर व्यय आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(ज) राज्य से पंचायत स्तर तक मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति बिरसा मत्स्य किसान की दर से राशि व्यय की जायेगी।

ज्ञान  
रक्षा

अ

10V

(झ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप/सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 30,000/-रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रूप में 12 Paddle Wheel Aerator (विभाग द्वारा अनुमोदित) अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिन्डर (accessories सहित) के कय हेतु प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिला के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जाँच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही राशि का भुगतान करेंगे।

8. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 225/-रु0 की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय, आवासन आदि पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों के एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 1500/-रु0 की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/-रु0 की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति व्यक्ति को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 100/-रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति व्यक्ति 600/-रु0 अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला/सेमिनार की राशि से आवश्यकतानुसार आर0एफ0एफ0 लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों, मत्स्य विक्रेताओं, विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि के समूहों की भी कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/मत्स्य विक्रेताओं आदि को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 100/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 600/-रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉंची तक) भुगतान किया जायेगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं आदि लाभुकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा आदि का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा।

राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉंगा गया संस्थागत व्यय आदि का भुगतान भी इससे किया जा सकेगा।

गुन राजीव

10V

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने हेतु विषय-वस्तु विशेषज्ञों/अतिथि व्याख्याताओं/प्रशिक्षकों/वैज्ञानिकों के आने-जाने का व्यय (TA/DA) तथा उनके पद के अनुरूप नानदेय का भुगतान लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-31-परामर्शी शुल्क के तहत अनुमान्य होगा।

- घ. परिशिष्ट - IV में आपूर्ति एवं सामग्री मद में कर्णाकित राशि का व्यय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय के लिए भी किया जा सकेगा। सामग्रियों का क्रय GeM के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0 2353 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में GeM Portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता की रिथिति में GeM के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अभिप्राप्ति की जाएगी।
- ड. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- च. सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :
- क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण: फैंक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायेगी।
- ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी।
- ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विषणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0 टी0-वेबड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख-रखाव/मोबाईल एप्प/अन्य एप्प तथा चाफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा।
11. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत राज्यादेश संख्या 54 रा0 (वि0) दिनांक 29.03.2023 के आलोक में CIFRI, कोलकाता से प्राप्त Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement technologies in underutilized reservoir resources of Jharkhand. के DPR के अधीन राज्य के तीन जलाशयों (गुमल्ला - मसरिया, हजारीबाग - घघरा तथा

सिमडेगा- केलाघाघ) में Pilot Project के रूप में Giant Freshwater Prawn fisheries के पालन हेतु तृतीय वर्ष का अध्ययन किया जाएगा।

(i) CIFRI, कोलकाता द्वारा इस परियोजना के लिए वर्षवार/कार्यवार प्रस्तावित बजट के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन द्वितीय वर्ष की शेष राशि तथा तृतीय वर्ष हेतु आवश्यक राशि का व्यय उपयुक्त मदों में निम्न रूप से किया जायेगा -

| Sl. No           | Major Heads   | मद                                  | Financial Details (in lakh Rs.)             |  |  |   |  |   |   |   |
|------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|
|                  |   |                                     | 1 <sup>st</sup> Year                        |  |  | 2 <sup>nd</sup> Year                        |  |   | 3 <sup>rd</sup> Year                        |   |
|                  |   |                                     | Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata | Sanctioned in 2022-23 vide Sanction Order No. 54 Ra. (V.) dated 29.03.2023 | Sanctioned in 2023-24 vide Sanction Order No. 16 Ra. (V.) dated 24.07.2023 | Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata | Sanctioned in 2023-24 vide Sanction Order No. 16 Ra. (V.) dated 24.07.2023 | Sanctioned in 2024-25 vide Current Sanction Order | Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata | Sanctioned in 2024-25 vide Current Sanction Order |
| 1                | 2   | 3                                   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  | 11  |
| 1                | Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (3 nos.) @ Rs. 25,000/- per month            | मानदेय                              | 9.00  | 9.00   | 0.00   | 9.00  | 9.00   | 0.00  | 9.00  | 9.00  |
| 2                | Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance                                      | आपूर्ति एवं सामग्री                 | 7.00  | 7.00   | 0.00   | 0.50  | 0.50   | 0.00  | 0.50  | 0.50  |
| 3                | Seed procurement @ 500 nos / ha   |                                     | 6.00  | 6.00   | 0.00   | 6.00  | 6.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 4                | Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL – Juvenile)                                  |                                     | 1.50  | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 1.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 5                | TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)    | प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण) | 3.00  | 0.00   | 3.00   | 2.50  | 2.50   | 0.00  | 1.50  | 1.50  |
| 6                | Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)                     | आपूर्ति एवं सामग्री                 | 6.00  | 6.00   | 0.00   | 4.00  | 4.00   | 0.00  | 2.00  | 2.00  |
| 7                | Operational contingencies (Vehicle / boat hiring, experimental fishing, labour charges etc) | अन्य व्यय                           | 3.00  | 0.00   | 3.00   | 2.00  | 0.00   | 2.00  | 1.00  | 1.00  |
| 8                | Conducting Inception & Closing workshop – 2 no  | प्रशिक्षण                           | 2.50  | 0.00   | 2.50   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 2.50  | 2.50  |
| 9                | Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos  | प्रशिक्षण                           | 2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.00  | 2.00   | 0.00  | 2.00  | 2.00  |
| 10               | Knowledge support charges   | परामर्शी शुल्क                      | 2.00  | 0.00   | 2.00   | 2.00  | 2.00   | 0.00  | 1.00  | 1.00  |
| 11               | Documentation & Report preparation  |                                     | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 2.00  | 2.00  |
| <b>Sub Total</b> |   |                                     | <b>42.00</b>                                | <b>29.50</b>   | <b>12.50</b>   | <b>29.50</b>                                | <b>27.50</b>   | <b>2.00</b>                                       | <b>21.50</b>                                | <b>21.50</b>                                      |
| 12               | Institutional charges (@10%)  | प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण) | 4.20  | 0.00   | 4.20   | 2.95  | 2.95   | 0.00  | 2.15  | 2.15  |
| <b>Total</b>     |   |                                     | <b>46.20</b>                                | <b>29.50</b>   | <b>16.70</b>   | <b>32.45</b>                                | <b>30.45</b>   | <b>2.00</b>                                       | <b>23.65</b>                                | <b>23.65</b>                                      |

3/10  
2/10/24  
2/10/24

10/10

- (ii) CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement technologies in underutilized reservoir resources of Jharkhand के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु पूर्व निर्गत राज्यादेश संख्या 54 रा0 (वि0) दिनांक 29.03.2023 की कंडिकाओं '7' से '13' एवं कंडिका '17' का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि के निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची होंगे जो आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागार से राशि की निकारसी करेंगे। CIFRI, कोलकाता से माँग के अनुरूप तथा प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CIFRI, कोलकाता को राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक-रा0 यो0 प्रा0-35/21 राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 40 रा0 (वि0)/मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्गत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्वर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें Three Buckle 5 mm EPF foam filled the whole jacket, weight capacity : 70 - 120 kg, buoyancy 150 N, material - polyster water resistance, size - standard 68 cm X 37 cm X 10 cm, equipped with useful whistle का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशक मत्स्य द्वारा उल्लिखित लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/- रुपये है। अतएव लाईफ जैकेट के निर्धारित न्यूनतम दर (मो0 2420/-रु0) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1815/-रु0) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण

3-3-23  
राजा  
64  
102

समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

(ग) झारखण्ड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, धुर्वा, राँची की सहायता से राज्य के तालावों के सैटेलाइट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन विकसित किये जाने हेतु मो0 10.62 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जाएगा।

(घ) निजी क्षेत्र के तालावों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा।

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

13. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

14. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

15. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पंदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

17. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1000.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 739.64 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

18. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

12/5/24

10/5/24

10/5/24



20. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
21. वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की रिथिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।
22. वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध वजतीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।
23. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
24. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11.03.2015 तथा ज्ञापांक 1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
25. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
26. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
27. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- ०५ श० (वि०) रॉची, दिनांक 13.6.24

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- ०५ श० (वि०) रॉची, दिनांक 13.6.24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, रॉची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- ०५ श० (वि०) रॉची, दिनांक 13.6.24

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आ० वि० सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

अभि  
सचिव

लोकसभा आम चुनाव, 2024 के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निदेश के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित "स्क्रीनिंग समिति" के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले प्रस्ताव का जाँच - पत्रक

जाँच पत्र

| क्रम | विषय  | विवरण   |
|------|---|---|
| 1    | 2   | 3   |
| 1    | विभाग का नाम  | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  |
| 2    | संचिका संख्या   | सं0सं0- म0नि0-11-उ0 यो0-99/2022-23  |
| 3    | प्रस्ताव का विषय  | वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो0 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौंसठ लाख उनासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।  |
| 4    | प्रस्ताव आदर्श चुनाव आचार संहिता से आच्छादित है अथवा नहीं   | है।   |
| 5    | प्रस्ताव की तत्कालिकता - प्रस्ताव लोकसभा चुनाव पूर्ण होने तक क्यों नहीं रूक सकता है। इस पर एक स्वतः स्पष्ट नोट (Note on Urgency, i.e. why the proposal can't wait till completion of poll/ election) कृपया संलग्न करें। | <p>यह योजना मत्स्य प्रक्षेत्र की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना में मुख्य रूप से मात्स्यिकी योजनाओं का प्रचार-प्रसार, तकनीकों का प्रशिक्षण एवं अनुसंधानात्मक कार्य सम्मिलित हैं।</p> <p>मत्स्य बीज उत्पादन मौसमी प्रकृति का कार्य है जो मुख्यतः अप्रैल-मई माह में प्रारंभ होता है। इसके लिए तालाबों की तैयारी, मत्स्य बीज हैचरियों का रख-रखाव आदि का प्रशिक्षण ससमय दिया जाना आवश्यक है ताकि बीज उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जा सके। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एक चालू प्रक्रिया है। विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के बीज संचयन का अभी उपयुक्त समय है।</p> <p>योजना समय पर स्वीकृत होने से मत्स्य बीज उत्पादन/मत्स्य उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा एवं राज्य के मत्स्य कृषकगण यथासमय प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। अतएव इस योजना की स्वीकृति आवश्यक है एवं लोकसभा चुनाव पूर्ण होने तक रुका नहीं जा सकता है।</p> |
| 6    | भारत निर्वाचन आयोग की सहमति क्यों जरूरी है  | भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के पत्रांक-437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCMENT) दिनांक-02.01.2024 के कंडिका-11 की उप कंडिका-4 एवं 17 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की सहमति जरूरी है।  |
| 7    | क्या प्रस्ताव पर स्क्रीनिंग समिति में समर्पित - किये जाने से पूर्व प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है   | हाँ।  |

(अबुबकर सिद्दीक़) प्रभारी  
सरकार के सचिव

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,  
झारखण्ड सरकार





05 राज (110)  
13.6.24

परिशिष्ट III

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-महत्वादी पालन-तय शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना अर्थात् जिलावार मौलिक एवं वित्तीय तत्व

| क्र०      | शायदा / विवरण का नाम | वित्तिय शीर्ष-01-अवकाश एवं शीर्ष-02-अवकाश          |                      | वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री |                      | वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री |                      | वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-21-संशोधन / समारोह / कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी |                      | वित्तिय शीर्ष-07-अवकाश व्यय-59-अवकाश व्यय |                      | कुल वित्तीय तत्व (लाख रु० में) |              |      |         |
|-----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------|------|---------|
|           |                      | मत्स्य निधि को कार्य के अन्तर्गत वित्तिय का सुचालन | मौलिक तत्व (रु० में) | वित्तीय पालन   | मौलिक तत्व (रु० में) | वित्तीय तत्व   | मौलिक तत्व (रु० में) | वित्तीय तत्व   | मौलिक तत्व (रु० में) | वित्तीय तत्व                              | मौलिक तत्व (रु० में) |                                | वित्तीय तत्व |      |         |
| 1         | 1                    | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 100                  | 0.500  | 0                    | 0.0000   | 1                    | 1.28                                      | 110                  | 0.22                           | 1            | 0.30 | 3.0000  |
| 2         | 2                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 40                   | 0.200  | 1000                 | 0.0200   | 0                    | 0.00                                      | 50                   | 0.10                           | 0            | 0.00 | 0.8200  |
| 3         | 3                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 50                   | 0.250  | 1500                 | 0.0300   | 1                    | 1.28                                      | 60                   | 0.12                           | 0            | 0.00 | 2.1800  |
| 4         | 4                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 20                   | 0.100  | 0                    | 0.0000   | 0                    | 0.00                                      | 40                   | 0.08                           | 0            | 0.00 | 0.6800  |
| 5         | 5                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 40                   | 0.200  | 1200                 | 0.0240   | 0                    | 0.00                                      | 40                   | 0.08                           | 1            | 0.30 | 1.1040  |
| 6         | 6                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 30                   | 0.150  | 1000                 | 0.0200   | 0                    | 0.00                                      | 40                   | 0.08                           | 1            | 0.30 | 1.0500  |
| 7         | 7                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 30                   | 0.150  | 1500                 | 0.0300   | 0                    | 0.00                                      | 75                   | 0.15                           | 1            | 0.30 | 1.1300  |
| 8         | 8                    | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 30                   | 0.150  | 1200                 | 0.0240   | 0                    | 0.00                                      | 45                   | 0.09                           | 1            | 0.30 | 1.0640  |
| 9         | 9                    | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 50                   | 0.250  | 0                    | 0.0000   | 1                    | 1.28                                      | 80                   | 0.16                           | 0            | 0.00 | 2.3900  |
| 10        | 10                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 30                   | 0.150  | 2000                 | 0.0400   | 0                    | 0.00                                      | 150                  | 0.30                           | 1            | 0.30 | 1.4900  |
| 11        | 11                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 30                   | 0.150  | 1200                 | 0.0240   | 1                    | 1.28                                      | 40                   | 0.08                           | 0            | 0.00 | 2.2340  |
| 12        | 12                   | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 30                   | 0.150  | 0                    | 0.0000   | 0                    | 0.00                                      | 40                   | 0.08                           | 0            | 0.00 | 0.7300  |
| 13        | 13                   | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 40                   | 0.200  | 1500                 | 0.0300   | 1                    | 1.28                                      | 40                   | 0.08                           | 0            | 0.00 | 2.0900  |
| 14        | 14                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 70                   | 0.350  | 2000                 | 0.0400   | 1                    | 1.28                                      | 110                  | 0.22                           | 1            | 0.30 | 2.8900  |
| 15        | 15                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 30                   | 0.150  | 1000                 | 0.0200   | 0                    | 0.00                                      | 90                   | 0.18                           | 1            | 0.30 | 1.3500  |
| 16        | 16                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 50                   | 0.250  | 1800                 | 0.0360   | 1                    | 1.28                                      | 95                   | 0.19                           | 1            | 0.30 | 2.7560  |
| 17        | 17                   | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 30                   | 0.150  | 1500                 | 0.0300   | 1                    | 1.28                                      | 75                   | 0.15                           | 0            | 0.00 | 2.1100  |
| 18        | 18                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 50                   | 0.250  | 2000                 | 0.0400   | 1                    | 1.28                                      | 95                   | 0.19                           | 0            | 0.00 | 2.4600  |
| 19        | 19                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 50                   | 0.250  | 1000                 | 0.0200   | 1                    | 1.28                                      | 60                   | 0.12                           | 0            | 0.00 | 2.3700  |
| 20        | 20                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 45                   | 0.225  | 2000                 | 0.0400   | 1                    | 1.28                                      | 70                   | 0.14                           | 0            | 0.00 | 2.3850  |
| 21        | 21                   | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 45                   | 0.225  | 1000                 | 0.0200   | 1                    | 1.28                                      | 45                   | 0.09                           | 0            | 0.00 | 2.1150  |
| 22        | 22                   | 0.50   | 0.50                 | 0.20   | 30                   | 0.150  | 1500                 | 0.0300   | 1                    | 1.28                                      | 45                   | 0.09                           | 0            | 0.00 | 2.2500  |
| 23        | 23                   | 0.50   | 0.50                 | 0.40   | 20                   | 0.100  | 1500                 | 0.0300   | 0                    | 0.00                                      | 45                   | 0.09                           | 0            | 0.00 | 1.1200  |
| 24        | 24                   | 0.50   | 0.50                 | 0.00   | 60                   | 0.300  | 2600                 | 0.0520   | 2                    | 2.56                                      | 160                  | 0.32                           | 1            | 0.30 | 4.0320  |
| कुल योग : |                      | 12.00  | 6.50                 | 2.6000   | 1000                 | 5.000  | 30000                | 0.6000   | 15                   | 19.2000                                   | 1700                 | 3.40                           | 10           | 3.00 | 45.8000 |

नोट :- कृषि विभाग की आवक नती समझा जाय।

(मौ० पैतालीस लाख अस्सी हजार रु० मात्र)

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग)  
सरकार के सचिव

05.21E(170)  
13.6.24

Table IV  
Statement of Assets and Liabilities of the Government of Karnataka as at the end of the financial year 2024-25

| Sl. No. | Particulars | Fixed Assets         |                          |                               | Financial Assets         |                               |                    | Financial Liabilities    |                               |                    | Provisions               |                               |                    | Total  |        |         |       |         |
|---------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|-------|---------|
|         |             | 101-<br>Fixed Assets | 102-<br>Financial Assets | 103-<br>Financial Liabilities | 104-<br>Financial Assets | 105-<br>Financial Liabilities | 106-<br>Provisions | 107-<br>Financial Assets | 108-<br>Financial Liabilities | 109-<br>Provisions | 110-<br>Financial Assets | 111-<br>Financial Liabilities | 112-<br>Provisions |        |        |         |       |         |
| 1       | Land        | 0                    | 282                      | 100                           | 382                      | 0                             | 105                | 38                       | 143                           | 0                  | 280                      | 65                            | 345                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 2       | Buildings   | 0                    | 130                      | 40                            | 170                      | 0                             | 50                 | 15                       | 65                            | 0                  | 190                      | 35                            | 225                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 3       | Plant       | 0                    | 250                      | 50                            | 300                      | 0                             | 80                 | 30                       | 110                           | 0                  | 200                      | 40                            | 240                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 4       | Investment  | 0                    | 190                      | 20                            | 210                      | 0                             | 50                 | 15                       | 65                            | 0                  | 190                      | 35                            | 225                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 5       | Debt        | 0                    | 180                      | 40                            | 220                      | 0                             | 50                 | 25                       | 75                            | 0                  | 205                      | 35                            | 240                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 6       | Debt        | 0                    | 230                      | 30                            | 260                      | 0                             | 70                 | 15                       | 85                            | 0                  | 190                      | 35                            | 225                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 7       | Debt        | 0                    | 328                      | 30                            | 358                      | 0                             | 100                | 15                       | 115                           | 0                  | 280                      | 30                            | 310                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 8       | Debt        | 0                    | 260                      | 30                            | 290                      | 0                             | 90                 | 10                       | 100                           | 0                  | 190                      | 35                            | 225                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 9       | Debt        | 0                    | 370                      | 50                            | 420                      | 0                             | 149                | 25                       | 174                           | 0                  | 260                      | 55                            | 315                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 10      | Debt        | 0                    | 250                      | 30                            | 280                      | 0                             | 90                 | 15                       | 105                           | 0                  | 312                      | 38                            | 350                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 11      | Debt        | 0                    | 180                      | 30                            | 210                      | 0                             | 50                 | 15                       | 65                            | 0                  | 190                      | 35                            | 225                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 12      | Debt        | 0                    | 180                      | 30                            | 210                      | 0                             | 50                 | 15                       | 65                            | 0                  | 200                      | 35                            | 235                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 13      | Debt        | 0                    | 170                      | 40                            | 210                      | 0                             | 50                 | 15                       | 65                            | 0                  | 190                      | 35                            | 225                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 14      | Debt        | 400                  | 0                        | 70                            | 470                      | 160                           | 0                  | 35                       | 195                           | 290                | 0                        | 70                            | 360                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 15      | Debt        | 280                  | 0                        | 30                            | 310                      | 100                           | 0                  | 25                       | 125                           | 210                | 0                        | 40                            | 250                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 16      | Debt        | 280                  | 0                        | 50                            | 330                      | 110                           | 0                  | 35                       | 145                           | 230                | 0                        | 50                            | 280                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 17      | Debt        | 310                  | 0                        | 30                            | 340                      | 110                           | 0                  | 25                       | 135                           | 210                | 0                        | 40                            | 250                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 18      | Debt        | 360                  | 0                        | 50                            | 410                      | 150                           | 0                  | 35                       | 185                           | 230                | 0                        | 40                            | 270                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 19      | Debt        | 250                  | 0                        | 50                            | 300                      | 100                           | 0                  | 33                       | 133                           | 200                | 0                        | 50                            | 250                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 20      | Debt        | 340                  | 0                        | 45                            | 385                      | 120                           | 0                  | 30                       | 150                           | 245                | 0                        | 40                            | 285                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 21      | Debt        | 280                  | 0                        | 45                            | 325                      | 100                           | 0                  | 30                       | 130                           | 190                | 0                        | 40                            | 230                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 22      | Debt        | 340                  | 0                        | 30                            | 370                      | 120                           | 0                  | 30                       | 150                           | 210                | 0                        | 40                            | 250                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 23      | Debt        | 300                  | 0                        | 20                            | 320                      | 110                           | 0                  | 25                       | 135                           | 210                | 0                        | 40                            | 250                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 24      | Debt        | 360                  | 0                        | 60                            | 420                      | 150                           | 0                  | 35                       | 185                           | 400                | 0                        | 40                            | 440                | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 25      | Debt        | 3500                 | 3000                     | 1000                          | 7500                     | 1330                          | 984                | 586                      | 2900                          | 2625               | 2877                     | 998                           | 6500               | 0.00   | 0.00   | 0.00    |       |         |
| 26      | Debt        | 78750                | 67500                    | 22500                         | 168750                   | 199500                        | 147600             | 87900                    | 435000                        | 55125              | 60417                    | 209580                        | 136500             | 7100   | 368730 | 1271911 | 38000 | 2915671 |
| 27      | Debt        | 0.0000               | 0.0000                   | 0.0000                        | 0.0000                   | 0.0000                        | 0.0000             | 0.0000                   | 0.0000                        | 0.0000             | 0.0000                   | 0.0000                        | 0.0000             | 0.0000 | 36500  | 0.000   | 0.000 | 36500   |

Particulars in Kannada

Particulars in English

Handwritten signature and date

Official stamp and signature

Table with columns for activity (कार्य), physical target (1-15), and financial target (16-30). It is divided into sections I, II, III, IV, and V, each containing multiple rows of data for different activities and their targets.

नोट - भौतिक लक्ष्य को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता।

(मौजूदा एक कार्य एकवर्षीय लक्ष्य का हिस्सा नहीं है।)

(अनुभवजन्य सिद्धि पर) सरकार के सचिव

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including the number 5210 (100/1) and the date 13.6.24.